

तहसीलदार बनाम भास्कराचार्य वगै०

राजस्व आवेदन संख्या 317/21

अन्तर्गत धारा 131,136, आर.एल.आर

दिनांक :- 16.09.202

पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली 14 माह से भी अधिक समय से तलबी मे विचाराधीन चल रही है। और पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी आदिनांक तक नोटिस पेश नहीं किए जा रहे है। न्यायालय के पत्रांक-272 दिनांक 10.5.2022 द्वारा भी प्रकरण में प्रभावी पैरवी करने बाबत तहरीर जारी की गयी थी उसके उपरान्त भी विप्रार्थीगण के नोटिस पेश नहीं किए गये। ऐसी सूरत मे आगे और अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विप्रार्थीगण के तलबी अभाव के कारण इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखित दफतर हो ।

  
उप खण्ड अधिकारी  
( SDO ) बालोतरा